फर्द अहकाम

कार्यालय जिला कलक्टर राजसमन्द, जिला राजसमन्द

श्री भेरूसिंह सोडा पुत्र श्री विजय सिंह सोडा, ग्राम–केलवा, तह0 व जिला राजसमंद
– अपीलार्थी

बनाम

लोक सूचना अधिकारी तहसीलदार राजसमन्द **– प्रत्यर्थी**

किस्म मुकदमा– अपील सूचना का अधिकार, 2005 **पत्रावली संख्या 22/2020**

कमांक	कार्यवाहिक विवरण	हस्ताक्षर पार्टी तथा सूचनाएं जारी की गई
	दिनांक 28.07.2020 पत्रावली प्रस्तुत हुई। अपीलार्थी अनुपस्थित। अपीलार्थी द्वारा सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 अन्तर्गत वांछित सूचना लोक सूचना अधिकारी, तहसीलदार राजसमन्द से प्राप्त नही होने से इस कार्यालय में सूचना प्राप्ति हेतु प्रेषित प्रथम अपील को दर्ज रजिस्टर किया जाकर लोक सूचना अधिकारी तहसीलदार राजसमन्द को वांछित सूचना अपीलार्थी को उपलब्ध कराते हुए रिपोर्ट इस न्यायालय में भिजवाने हेतु निर्देशित किया गया। लो0सू0 अधिकारी तहसीलदार राजसमन्द द्वारा जरिये पत्रांकः– आर.टी.आई./20/389 दिनांक 25.07.2020 से रिपोर्ट प्रेषित होकर प्राप्त हुई हैं। लोक सूचना अधिकारी, तहसीलदार राजसमन्द की उक्त रिपोर्ट के अनुसार अपीलार्थी श्री भेरूसिंह सोडा पिता श्री विजयसिंह सोडा निवासी सरस का गुडा, उमरवास, तहसील कुम्भलगढ हाल उपडाकघर के पास केलवा तहसील व जिला राजसमंद के द्वारा सूचना के अधिकार अधिनियम 2005 के तहत प्रस्तुत आवेदन पत्र में चाही गई सूचना की फोटो प्रति पटवारी हल्का द्वारा कार्यालय में प्रस्तुत की गयी। जिसकी प्रति प्रार्थी को दिये जाने हेतु पटवारी हल्का केलवा को व्यक्तिशः सम्पर्क कर सूचना दिये जाने की कार्यवाही की गयी किन्तु पटवारी हल्का केलवा द्वारा प्रार्थी श्री भैरूसिंह सोडा द्वारा दिये गये पते पर 3–4 बार जाने के उपरान्त भी प्रार्थी अनुपस्थित पाये जाने से डाक द्वारा प्रार्थी के दिये गये पते पर उपरोक्तानुसार सूचना भिजवाई जा रही हैं। लोक सूचना अधिकारी, तहसीलदार राजसमन्द की रिपोर्ट एवं अपीलार्थी द्वारा प्रस्तुत प्रथम अपील का अवलोकन किया गया। लोक सूचना अधिकारी, तहसीलदार राजसमन्द के पत्रांक आर.टी.आई./20/389 दिनांक 25.07.2020 से प्राप्त रिपोर्ट अनुसार अपीलार्थी को सूचित किया जा चुका हैं। उपरोक्त सूचना यदि अपीलार्थी को प्राप्त नही हुई हो तो, अपीलार्थी को निर्देशित किया जाता है कि कार्यालय समय में कार्यालय तहसीलदार राजसमन्द में उपस्थित होकर वांछित सूचना प्राप्त करें। अतः उक्त अपील इसी स्टेज पर निर्णित की जाती है। निर्णय की प्रति अपीलार्थी एवं लोक सूचना अधिकारी, तहसीलदार राजसमन्द को भिजवायी जावे। **पत्रावली फैसल शुमार होकर दर्ज रजिस्टर नं0 से कम की जाकर दाखिल दफ्तर हो।** **लोक सूचना अपीलीय अधिकारी** **(जिला कलक्टर)राजसमन्द**	

न्यायालय जिला कलक्टर